प्रकरण संख्या : 47/2024
अशोक कुमार वगै. बनाम राज. सरकार वगै.
निर्णय दिनांक : 17.01.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	47/2024
दायर दिनांक	:	13.06.2024
निर्णय दिनांक	:	17.01.2025

1. अशोक कुमार पुत्र चन्द्रप्रकाश जाति ब्राह्मण, निवासी शीलमण्डपाडा खारीकोठी मौहल्ला तहसील व जिला दौसा
2. राजेन्द्र पुत्र चन्द्रप्रकाश जाति ब्राह्मण, निवासी शीलमण्डपाडा खारीकोठी मौहल्ला तहसील व जिला दौसा
3. नरेन्द्र कुमार पुत्र चन्द्रप्रकाश जाति ब्राह्मण, निवासी शीलमण्डपाडा खारीकोठी मौहल्ला तहसील व जिला दौसा
4. प्रवीण कुमार पुत्र चन्द्रप्रकाश जाति ब्राह्मण, निवासी शीलमण्डपाडा खारीकोठी मौहल्ला तहसील व जिला दौसा
5. कौशल्या पत्नी चन्द्रप्रकाश जाति ब्राह्मण, निवासी शीलमण्डपाडा खारीकोठी मौहल्ला तहसील व जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. सिंचाई विभाग जरिये सहायक अभियन्ता सब्जी मण्डी गणेश जी के मन्दिर के पास लालसोट रोड दौसा
3. सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिये सहायक अभियन्ता शहर दौसा
4. दौसा केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा दौसा

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2746, 2747, 2750, 2751 कुल किता 4 कुल रकबा 0.31 है. ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार एवं मौके पर काबिज हैं। उक्त भूमि के पास से होकर गेटोलाव रोड पर रास्ता जा रहा है जिसके खसरा नम्बर 2464 है। इसके अलावा आसपास में सिंचाई विभाग दौसा की भूमि है जिसके खसरा नम्बर 2745 है। प्रार्थीगण की भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के रास्ते की भूमि व सिंचाई विभाग की भूमि की सीमाओं [illegible] बना रहता है। कई बार सिंचाई विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग दौसा के अधिकारियों ने आकर प्रार्थीगण से सीमाओं को लेकर विवाद किया है। इसलिए प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाना व सीमाज्ञान करवाया जाकर उसके चिह्न कायम किया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है। साथ ही सिंचाई विभाग की भूमि खसरा नम्बर 2745 व रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 2464 का भी सीमाज्ञान करवाया जाकर चिह्न कायम किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 4 के यहाँ प्रार्थीगण की भूमि पर केसीसी लिया हुआ है, इसलिए उन्हें आवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:37:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 2746, 2747, 2750, 2751 कुल किता 4 कुल रकबा 0.31 है. एवं ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 2745 व 2464 का सीमाज्ञान करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें एवं इस हेतु मौके पर मुकाम व चिह्न बनाये जाने के आदेश देने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर अधिवक्ता श्री बजरंग लाल शर्मा ने पावर पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 4 द्वारा जवाब पेश न किये जाने के कारण इनका जवाब बन्द किया गया।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 2746, 2747, 2750, 2751, 2745 व 2464 का सीमाज्ञान करवाना एवं मौके पर मुकाम व चिह्न बनावाना चाहते हैं। प्रार्थीगण के अनुसार खसरा नम्बर 2746, 2747, 2750, 2751 के खातेदार प्रार्थीगण हैं एवं खसरा नम्बर 2745 सिंचाई विभाग की भूमि है व खसरा नम्बर 2464 रास्ते की भूमि है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी अनुसार ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 2746, 2747, 2750, 2751 कुल किता 4 कुल रकबा 0.31 है. भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। किन्तु ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 2745 व 2464 की अपूर्ण जमाबन्दी प्रार्थीगण द्वारा उपलब्ध करवायी गयी है। इस कारण उक्त दोनों खसरा नम्बरान के खातेदारों के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 2464 रास्ते की भूमि होना बताया है जबकि उपलब्ध जमाबन्दी में खसरा नम्बर 2464 की किस्म पेटा तालाबी अंकित है। इस प्रकार खसरा नम्बर 2745 व 2464 के संबंध में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण उक्त दोनों खसरा नम्बरान के संबंध में किसी प्रकार का निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि खसरा नम्बर 2746, 2747, 2750, 2751 प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने की पुष्टि होती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2746, 2747, 2750, 2751 कुल किता 4 कुल रकबा 0.31 है. का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:37:34 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)